

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक: 12/09/2021

- क्रमांक: ई 1-01/2021/एक-2 :: राज्य शासन एतद्वारा श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, अपर मुख्य सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल लाईन प्रोजेक्ट) तथा अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को केवल अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।
- 2/ श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपकरण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, वन विभाग, आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-निवेश आयुक्त, सीएसआईडीसी (मुख्यालय नई दिल्ली) को केवल आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।
- 3/ डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997), प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थ करता है।
- 4/ श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. (2002), सचिव, श्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, माननीय राज्यपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
- 5/ श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003), सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, विमानन विभाग एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को केवल सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, खनिज साधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।
- 6/ श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003), सचिव, जल संसाधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, खेल एवं युवा कल्याण, सचिव, संसदीय कार्य विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, पंचायत का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
- 7/ श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, कौशल विकास एवं संचालक, पंचायत को केवल संचालक, पंचायत के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है। शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।

10/1

//2//

8/ श्री अन्बलगन पी. भा.प्र.से. (2004), सचिव, खनिज साधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

9/ श्री धर्नजय देवांगन, भा.प्र.से. (2004), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

10/ श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. (2005), सचिव, जनशिकायत एवं निवारण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, विमानन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

11/ श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006), श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी के पद पर पदस्थ करता है।

श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

12/ श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, भू-अभिलेख एवं संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

13/ श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

3.....

14/1

14/ श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. (2008), विशेष सचिव, कृषि विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ करता है।

श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मिशन संचालक, समग्र शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

15/ श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, गृह विभाग तथा संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

16/ श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, कृषि विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

16/ श्री सुधाकर खलखो, भा.प्र.से. (2012), संचालक, ग्रामोद्योग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. माटीकला बोर्ड को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

17/ श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

18/ श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. (2014), आयुक्त, नगर पालिक निगम, मिलाई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।

श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

19/ श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. (2016), अपर संचालक, उच्च शिक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदस्थ करते हुए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

20/ श्रीमती तुलिका प्रजापति, भा.प्र.से. (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(~~डॉ. कमलप्रतीत सिंह~~)
सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
नवा रायपुर, दिनांक: 12/09/2021

पृ.क्र. ई 1-01/2021/एक-2
प्रतिलिपि-

1. संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
2. अनुसंधान अधिकारी (कैरियर मैनेजमेंट), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़,
4. अपर मुख्य सचिव, गृह/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/जल संसाधन/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/आवास एवं पर्यावरण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा/वाणिज्य एवं उद्योग/सार्वजनिक उपक्रम/वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन/कृषि/श्रम/लोक निर्माण/विमानन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/खनिज साधन/खेल एवं युवा कल्याण/संसदीय कार्य/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/जनशिकायत/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/पर्यटन/संस्कृति/धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व/उच्च शिक्षा/गृह/तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार/राजस्व एवं आपदा प्रबंध/ग्रामोद्योग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,

// 5 //

9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
10. सभागायुक्त, रायपुर / बिलासपुर / सरगुजा / बस्तर / दुर्ग, छत्तीसगढ़,
11. कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.),
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर-रामानुजगंज,
13. संचालक, जनसंपर्क,
14. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
15. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्था./अधी./कदा-5),
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
16. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
17. संबन्धित अधिकारीगण / व्यक्तिगत नस्ती / आर्डर बुक,
18. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
19. कोषालय अधिकारी, इटावती / जिला कोषालय, नवा रायपुर अटल नगर /
रायपुर / बलरामपुर-रामानुजगंज,
20. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग